

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



सत्यमेव जयते

स्पीड पोस्ट
उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/101/2022-2023

22 मार्च, 2023

सेवा में,

श्री एन. आर. ठाकुर
संरक्षक श्री मन मोहन लाल
एच. न. 1277 नया घोड़ा मैदान
बगुनहंतु, जमशेदपुर, पीओ -बरिधि
जनपद-ईस्ट सिंहभूम, झारखंड-831017

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 06.03.2023 का पत्र इस सचिवालय 13.03.2023 में प्राप्त हुआ है जिसके साथ दस रुपये का पो.आ.सं. 58 एफ़ 960944 संलग्न कर अपने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, के अंतर्गत प्रश्नवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा भेजा गया आवेदन 02.01.2023 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ जिसमें आपके द्वारा नौकरी पाने एवं वित्तीय सहायता के लिया निवेदन किया था। आपको सूचित किया जाता है कि उप-राष्ट्रपति के सचिवालय में प्राप्त याचिकाओं की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश के अंतर्गत कार्रवाई न किए जाने योग्य याचिका से संबन्धित है। इस कारण नौकरी एवं वित्तीय सहायता से संबन्धित सभी याचिकाओं को फाइल कर दिया जाता है तथा इन याचिकाओं के लिए कोई पावती नहीं भेजी जाती है। आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

(सूचनाधिकार मामला अतिआवश्यक)

R.T.I. Act 2005, Sec. - 6 के तहत अनुरोध पत्र

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है)
वर्ष - 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था।

पत्रांक संख्या :

/2023-2024

दिनांक:- 03/03/2023

सेवा में,

श्रीमान् जनसूचना पदाधिकारी (P.I.O.) महोदय,
सहश्रीमान्
..........
.....
.....

विषय:- R.T.I. Act 2005, Sec. - 6(1) और Sec. - 6 (3)(ii) के तहत अनुरोध पत्र के संबंध में।

प्रसंग:- दिनांक 26/12/2022 को मेरे आवेदन पत्र के संदर्भ में।

Speed Post (पत्र की प्रतिलिपि संलग्नक)

स्वयं के द्वारा विभाग का नाम-

महोदय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मुझे यथाशीघ्र सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

प्रश्न सं0-1 यह कि, दिनांक 26/12/2022 को मैंने एक आवेदन पत्र आपके विभाग को स्पीडपोस्ट/स्वयं के द्वारा भेजा था। इस आवेदन पत्र पर आज तक आपके द्वारा क्या-क्या कार्रवाई किया गया बताए या आपके द्वारा क्या-क्या दिशा-निर्देश दिया गया बताए। इससे संबंधित जो पत्र या दिशा-निर्देश या आलेख दिया गया उसका प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा किया जाय।

प्रश्न सं0-2 यह कि, दिनांक 26/12/2022 को मैंने एक आवेदन पत्र यदि किसी विभाग को हस्तांतरण किया गया। उस विभाग का

क्रमशः.....2

नाम, उस विभाग के पदाधिकारी का नाम और पद बताए और विभागीय पता पत्राचार हेतु बताएं और सम्पर्क सूत्र बताए R.T.I. Act 2005, Sec. -4(1) (b) के तहत बताए।

प्रश्न सं0-3 यह कि, दिनांक 26/12/2022 को आवेदन पत्र जिस विभाग को हस्तांतरण किया गया है। उस विभाग में आज तक क्या-क्या कार्रवाई किया गया बताए। इस कार्रवाई के सम्बन्ध में आपको क्या-क्या रिपोर्ट सौंपा गया है। बताए इस रिपोर्ट का प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपया किया जाए।

प्रश्न सं0-4 यह कि, दिनांक 26/12/2022 को आवेदन पत्र पर कौन-कौन पदाधिकारियों ने क्या-क्या कार्य किया, यह आवेदन पत्र कौन-कौन पदाधिकारियों के पास कब से कब तक था। तिथि के साथ बताए और उनके द्वारा उस पर क्या आदेश या आलेख या दस्तावेज से संबंधित कोई भी दस्तावेज है तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

प्रश्न सं0-5 यह कि, आपके विभाग का प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम, पद, पता, पत्राचार हेतु बताए और सम्पर्क सूत्र बताए। और R.T.I. Act 2005, Sec. -19(1) के तहत बताए। और द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी का नाम, पद, पता, पत्राचार हेतु बताए और सम्पर्क सूत्र बताए। और R.T.I. Act 2005, Sec. -19(3) के तहत बताए।

प्रश्न सं0-6 यह कि, दिनांक 26/12/2022 को मेरे आवेदन पत्र पर संज्ञान लेकर किस-किस विभाग को नोटिस जारी किया गया है और उस विभाग से कितने सप्ताह में जवाब मांगा गया है। बताए इससे सम्बन्धित पत्र या नोटिस या दस्तावेज का प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपया किया जाए।

- प्रश्न सं0-7 यह कि, दिनांक 26/12/2022 का मेरे आवेदन पत्र पर प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट आज तक का देने की कृपया किया जाए और इससे सम्बन्धित पत्र या नोटिस या दस्तावेज का प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपया किया जाए।
- प्रश्न सं0-8 यह कि, आपके द्वारा प्रथम स्मरण पत्र कितना दिनांक को भेजा गया बताए। इस प्रथम स्मरण पत्र का प्रमाणित छायाप्रति देने की कृपया किया जाए।
- प्रश्न सं0-9 यह कि, आपके द्वारा द्वितीय स्मरण पत्र कितना दिनांक को भेजा गया बताए और कितनी दिनों के अंदर द्वितीय स्मरण पत्र भेजा जाएगा बताए। इस द्वितीय स्मरण पत्र का प्रमाणित छायाप्रति देने की कृपया किया जाए।
- प्रश्न सं0-10 यह कि, आपके द्वारा अंतिम स्मरण पत्र कितना दिनांक को भेजा गया बताए और कितनी दिनों के अंदर अंतिम स्मरण पत्र भेजा जाएगा बताए। इस अंतिम स्मरण पत्र का प्रमाणित छायाप्रति देने की कृपया किया जाए।
- प्रश्न सं0-11 यह कि, आपके द्वारा मेरे आवेदन पत्र के संबंध में आपके द्वारा कब समीक्षा किया गया बताए और समीक्षा रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति देने की कृपया की जाय।
- प्रश्न सं0-12 यह कि, आपके द्वारा मेरे आवेदन पत्र पर कब समीक्षा किया जाएगा बताए। या नहीं किया जाएगा तो समीक्षा नहीं करने वाले नियमावली का प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपया की जाए।

प्रश्न सं०-13 यह कि, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के विभाग में जन शिकायत आवेदन पत्र का समीक्षा रिपोर्ट माँगा जाता है कि नहीं बताये। माँगा जाता है तो कब-कब माँगा गया है उसकी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि दें।

प्रश्न सं०-14 यह कि, यह मेरा आवेदन पत्र जिस विभाग को भेजा जा रहा है। इसकी सूचना यथाशीघ्र 5 दिनों के अन्दर R.T.I. Act 2005, Sec. -6 (3) (ii) के तहत सूचना हमें देने की कृपा किया जाए।

प्रश्न सं०-15 यह कि R.T.I. Act 2005, Sec. -6(3) (ii) का कड़ाई से पालन करने की कृपया किया जाए और इस अधिनियम का पालन कराने वाले नोडल पदाधिकारी का नाम, सम्पर्क सूत्र एवं पत्राचार का पता भी बताए।

अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र सभी सूचना उपलब्ध कराने की कृपया किया जाए।

आपका विश्वासी,
N. R. Thakur

संलग्न:-

- 1- I.P.O. Rs. 10/-
2. I.P.O. No.58F 960944
3. आवेदन पत्र एवं का छाया प्रतिलिपि संलग्न।

पत्राचार का पता N. R. Thakur

c/o Man Mohan Lal
Add. H. No - 1277 Naya Ghodha
Maidan, Bagunhantu
P.O. Bairath Jamsheerpur
Dist. F. Singh Bhawan
Jharkhand.
831017

नोट: ऐसे वाद जिसमें आयोग ने जन सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध आरटीआई 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) तथा लोक प्राधिकार के विरुद्ध 19(8) (b) में कार्रवाई की है उसे निष्पादित माना जायेगा और उसे सुनवाई के लिए सुचीबद्ध नहीं किया जायेगा क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि "Even where fine is imposed or disciplinary action is ordered, it is no part of the duty of the officials who passed the order to ensure that Fine is recovered and disciplinary action is taken."